तारीख हुक्म	
14.5.22	वकील उभयपक्ष उप०/ तलबी जवाब आरोप तैयार पत्रावली दि० 31.5.22 को पेश हो। पीठासीन निशानी अंगूठा पप्पू
31-5-2022	पत्रावली पेश हुई/ ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/अभियोगी/अभियुक्त~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य~~ ~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-6-2022 को पेश हो। अप्रार्थी पप्पू उप०/ पेशकार
28-6-2022	वकील उभयपक्ष उप०/ अप्रार्थी पप्पूलाल, नारायणी, मदनलाल, राजन्ती, कमला, कमांती की ओर से श्री रविशंकर शर्मा अधि० ने वकालतनामा प्रस्तुत किया/ तलबी शेष अप्रार्थीगण की जाकर पत्रावली दि० 19.7.2022 को पेश हो। पीठासीन
19.7.22	वकील उभयपक्ष उप० अप्रार्थी नं० 4 की ओर से जवाब पेश हुआ/ बाबत नजबवीद अप्रार्थी नं० 2 पत्रा० दि० 23.8.22 को पेश हो।
23-8-2022	वकील उभयपक्ष उप०/ वकील प्रार्थीगण ने एक प्रा०पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में अप्रार्थी सं० 3/2 की मृत्यु होने के कारण व अप्रार्थी सं० 3/3 व 3/4 द्वारा अप्रार्थी सं० 3/1 के पक्ष में [illegible] अप्रार्थी सं० 3/2, 3/3, 3/4 का नाम [illegible] का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं० 1, 3 [illegible] वकील द्वारा इस पर अपनी अनापत्ती जाहिर की [illegible] प्रा०पत्र पर [illegible] प्रार्थीगण को सुना गया। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है एवं टाइटल में अप्रार्थी सं० 3/2, 3/3, 3/4 के नाम के आगे "नाम हजफ" अंकित करने का आदेश दिया जाता है। वास्ते जवाब पत्रावली दि० 13-9-2022 को पेश हो। पीठासीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/2018	10.1.2018	26.12.2022

मीठया पि0मु0 गूजरिया जाति मीना निवासी बाढ कोटडी (मृतक)

1. कमल चन्द पुत्र स्व0 मीठया
2. लक्खीराम पुत्र स्व0 मीठया
3. गुलकन्दी पत्नी स्व0 मीठया
4. सन्तरा पुत्री मीठया

जाति मीना निवासी बाढ कोटडी तहसील गंगापुरसिटी हाल तह0तलावडा —प्रार्थीगण

बनाम

1. पप्पूलाल पुत्र झण्डू
2. नारायणी पत्नी झण्डू
3. सूस्या पुत्र बंशी (मृतक)

3/1. झब्बालाल पुत्र सूस्या
3/2. विशनी देवी पत्नी स्व0 सूस्या
3/3. गुड्डी पुत्री स्व0 सूस्या
3/4. सुखवाई पुत्री स्व0 सूस्या

जाति बैरवा निवासी बाढ कोटडी तहसील गंगापुर सिटी हाल तहसील तलावडा

4. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट,अप्रार्थी नं0 1 लगा0 3 की ओर से
श्री अरविन्द अग्रवाल, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 4 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0नं0 168 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 169 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 170 रकबा 0.83 है0 ग्राम बाढ कोटडी में है। प्रार्थी के खेतों के पास पूर्व दिशा की तरफ भूमि ख0नं0 221 रकबा 0.64 है0 स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी में है। यह [illegible] अप्रार्थी संख्या 4 के यहां रहन रखी हुई है। ग्राम बाढ कोटडी में एक रास्ता [illegible] टटवाडा को जा रहा है। यह रास्ता ख0नं0 226 व 436/226 की [illegible] के सहारे उत्तर को जाता है फिर ख0नं0 436/226 की उत्तरी डौल के सहारे ख0नं0 222 में होकर ख0नं0 223 की पूर्वी डौल के सहारे आगे उत्तर को निकल जाता है जिसे नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। यह रास्ता पक्का डामर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

रोड बना हुआ है। प्रार्थी अपनी भूमि ख0नं0 170 में ख0नं0 221 की उत्तरी डौल जो प्रार्थी के खेत ख0नं0 170 व अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 221 के मध्य है व ख0नं0 222 से लगता हुआ जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया है, के सहारे होकर इस आम रास्ते में आमद रफत करता है तथा कृषि कार्य हेतु कृषि यंत्र आदि लाता ले जाता है। प्रार्थी की भूमि ख0नं0 170 में आमद रफत का एकमात्र यही रास्ता है जो सडक से सबसे नजदीक है व छोटा रास्ता है। प्रार्थी को अपने खेत ख0नं0 170 पर आने जाने का कोई और रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता ख0नं0 221 का रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी के रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा डालते हैं तथा आये दिन रास्ता बन्द कर देते हैं इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग के लिए ख0नं0 221 में से 20 फीट चौडा रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाए पीले रंग के रास्ते तक दिया जाना आवश्यक है। जिसकी कीमत प्रार्थी डी0एल0सी0 दर के अनुसार व श्रीमान् के आदेशानुसार अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार सबसे छोटे रास्ते बाबत् रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रार्थी को अपनी भूमि ख0नं0 170 ग्राम बाढ कोटडी में आवागमन के लिए ख0नं0 221 ग्राम बाढ कोटडी में से मुताबिक नजरी नक्शे के आम सडक तक 20 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाकर इस भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौके की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जबाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 20 फीट चौडाई में न दिया जाकर 10 से 12 फीट चौडाई में ही दिया जावे तथा रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि का मुआवजा अप्रार्थी झब्बूलाल हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी पप्पूलाल हिस्सा 1/2 के अनुसार दिलाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी है [illegible] एकमात्र वारिस अप्रार्थी पप्पूलाल ही है। अतः जबाब प्रस्तुत [illegible] की रास्ते में जाने वाली भूमि का मुआवजा [illegible] को रास्ता देने में जबाबदारान को कोई आपत्ती नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि नजरी नक्शा गलत बनाया है। गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया

लेक्टर
स०मा०)

है। भूमि जवाबदार के यहां रहन है। अतः जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नजरी नक्शा, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 50, 40, 39 ग्राम बाढकोटडी, नकल नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत किए हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जबाव के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/18/2356 दिनांक 26.12.2018 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ख0नं0 170 तक पहुंचने के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता डामरीकृत सडक से ख0नं0 221 से होकर है जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। चाहे गए रास्ते की लम्बाई 36 मीटर एवं चौडाई 6 मीटर अर्थात 216 वर्गमीटर भूमि आती है जिसे नजरी नक्शे में हरी स्याही से दर्शाया गया है। डी0एल0सी0 दर 466650/— रू0 प्रति हैक्टर है। प्रार्थी ने बैंक एकाउन्ट नम्बर देने से मना कर दिया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता है जिसकी पुष्टि तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट से भी होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने का कष्ट करें।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विद्वान वकील ने अपने जवाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी को 10 से 12 फीट चौडाई में ही रास्ता दिया जावे व रास्ते में जाने वाली भूमि [illegible]वजा अप्रार्थी झब्बूलाल हिस्सा 1/2 अप्रार्थी पप्पूलाल [illegible] जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उप[illegible] अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा भूमि ख0नं0 221 [illegible] फीट चौडाई में रास्ता चाहा जा रहा है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 26.12.18 के अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए सबसे कम दूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स0मा0)

का रास्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता ही है। अप्रार्थीगण ने ख0नं0 221 में होकर 10 से 12 फीट चौडाई में रास्ता दिए जाने पर सहमति दी है तदनुसार प्रार्थी को भूमि ख0नं0 221 में होकर 4 मीटर की चौडाई व 36 मीटर की लम्बाई का रास्ता दिया जाना उचित है। इसी अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाए गए रास्ते के अनुसार एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्णित विवरण के अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0नं0 170 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3/1 की खातेदारी भूमि ख0नं0 221 ग्राम बाढकोटडी में से 4 मीटर चौडाई का व 36 मीटर लम्बाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 144 वर्गमीटर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग हेतु रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। यह भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 221 ग्राम बाढकोटडी में से कम की जाकर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज की जावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त डी0एल0सी0 दर के अनुसार 144 वर्गमीटर भूमि की कीमत 6720/–रू0 होती है जो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी झब्बूलाल पुत्र सूस्या को रू0 3360/– तथा अप्रार्थी पप्पूलाल पुत्र झण्डू को रू0 3360/– भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः उपरोक्त राशि का अलग अलग बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी इस न्यायालय में जमा करावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.20[illegible] को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)